

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक / राज0 / प्र0सं0 / 186 / 2019

दिनांक 02/11/2020

प्रेषित,

तहसीलदार, माण्डलगढ

विषय :- पत्थरगढी करने बाबत।

उनवान

- 1 नानालाल पिता घन्नालाल भील निवासी देरोली का झुपड़ा तहसील विजौलियाँ।

—प्रार्थी

बनाम


- 1 गोपालसिंह पिता नामालुम राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील माण्डलगढ।
- 2 गणेश पिता नन्दलाल पारीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ।
- 3 भैरूलाल पिता नामालुम तेली निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ।
- 4 बंशीलाल पिता भैरूलाल खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ।
- 5 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम धूलखेड़ा प.ह. जालिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 13 की आराजी संख्या 60/45 कित्ता 1 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी कमिश्नर फीस 500/- रूपये मौके पर वक्त पत्थरगढी अदा करें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 1 माह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।


उस्ताह चौधरी(आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

